प्रेषक,

डा0भूपिन्दर कौर,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
चम्पावत ।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक : 17 जनवरी, 2006

विषय: राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय चल्थी तथा इजडा, जनपद- चम्पावत के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2005-06 में धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/एस0ए0डी0/2005/23073 दिनांक 14.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय चल्थी तथा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, इजडा(जनपद चम्पावत) के आवासीय भवनो के निर्माण कार्य हेतु संलग्नानुसार क्रमश: रू0 18,18,000-00(रू0 अट्ठारह लाख अट्ठारह हजार मात्र) तथा रू0 24,40,000.000(रू0 चौबीस लाख चालीस हजार मात्र)इस प्रकार कुल रू0 42,58,000.00(रू0 बयालीस लाख अटावन हजार मात्र)की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्नानुसार रू0 23,00,000.00 संगत मद में एवं रू0 12,32,000.00 संलग्न बी0एम0 15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्यावर्तन द्वारा अर्थात कुल रू0 35,32,000.00(रू0 पैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट

शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायगा ।

5 आगणन में उल्लेखित दरों कर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, को स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7 कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10 कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन का प्रस्तुत कर दिया जायगा। उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

12 कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

13 उक्त कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके कब्जा प्राप्त होने को बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

14 आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

15 स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख को निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि उस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है ।

16 निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

17 निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़ें ।

19- स्वत व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें आयोजनागत -110-अस्पताल तथा औषधालय, 91- जिला योजना, 01- राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

20- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-158 /वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2005 दिनांक 29.12.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(डा0भूपिन्दर कौर)
अपर सचिव

सं0 सं0-461(1)/XXVIII-5-2005-60/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2 निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3 कोषाधिकारी, चम्पावत ।
4 आयुक्त गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, उत्तरांचल ।
5 जिलाधिकारी, चम्पावत, ।
6 महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तरांचल ,देहरादून ।
7 परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम ।
8 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून ।
9- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
10 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी ।
11 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डा0भूपिन्दर कौर)
अपर सचिव

शासनादेश सं0-[illegible]/नग-3111-5-[illegible] दिनांक [illegible] 2005 का संलग्नक

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (वित्तीय वर्ष 20

प्रस्तर - 158 अनुदान संख्या-12

बी0एम0-15

निर्गतक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

पुर्नविनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद्)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (4-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत			राजकीय चिकित्सालयों का भव[illegible] योजना के अन्तर्गत [illegible] धनराशि कम पड़ने [illegible] अतिरिक्त धनरा[illegible] आवश्यकता है उपकेन्द्रों का भव[illegible] योजना के [illegible] आवश्यकता से [illegible] प्राविधान होने के [illegible] धनराशि की बचत [illegible]
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
101-स्वास्थ्य उप-केन्द्र				110-अस्पताल तथा औषधालय			
91- जिला योजना				91-जिला योजना			
01-उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)				01-राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण			
24-वृहत निर्माण कार्य-30000	17186	-	12814	24-वृहत निर्माण कार्य-1232	11232	11582	
योग- 30000	17186	-	12814	1232	11232	11582	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(डा0भूपिन्दर कौर)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग
संख्या-...../ वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-3/2005
देहरादूनः दिनांकः दिसम्बर,2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृत

एल0एम0पन्त
अपर सचिव

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तरांचल(लेखा एवं हकदारी)
ओबरॉय बिल्डिंग,
माजरा सहारनपुर रोड़, देहरादून ।

सं0-461/XXVIII-5-2005-60/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, कोषगार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(डा0भूपिन्दर कौर)
अपर सचिव